

भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 44

भारी उद्योग विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	263.35	663.76	927.11	392.87	907.13	1300.00	5478.86	2354.44	7833.30	984.99	1615.01	2600.00
<i>वसूलियां</i>	-0.16	...	-0.16
<i>प्राप्तियां</i>	-11.50	...	-11.50	-4753.00	...	-4753.00
निवल	251.69	663.76	915.45	392.87	907.13	1300.00	725.86	2354.44	3080.30	984.99	1615.01	2600.00
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	21.46	...	21.46	27.80	...	27.80	27.80	...	27.80	28.60	...	28.60
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास												
2. नेशनल ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप)	75.00	0.01	75.01	388.00	...	388.00	485.88	0.01	485.89
3. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया)	74.99	...	74.99	122.90	...	122.90	122.90	...	122.90	175.00	...	175.00
4. आटोमोबाइल और एलाइड उद्योगों के लिए विकास परिषद	44.95	...	44.95	82.15	...	82.15	72.65	...	72.65	20.00	...	20.00
5. फ्लुइड कंट्रोल अनुसंधान संस्थान	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़-ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	121.94	...	121.94	282.05	0.01	282.06	585.55	...	585.55	682.88	0.01	682.89
पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास												
6. भारतीय पूंजीगत वस्तु में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि	22.87	...	22.87	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00	150.00	...	150.00
7. ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी का विकास	0.01	...	0.01	120.00	...	120.00
8. उद्योग संघों और सार्वजनिक उपक्रमों के उन्नयन की गतिविधियाँ	0.41	...	0.41	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़-पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास	23.28	...	23.28	51.01	...	51.01	60.50	...	60.50	270.50	...	270.50
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	145.22	...	145.22	333.06	0.01	333.07	646.05	...	646.05	953.38	0.01	953.39
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
9. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता	96.67	663.76	760.43	32.01	907.12	939.13	4805.01	2354.44	7159.45	3.01	1615.00	1618.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	-11.50	...	-11.50	-4753.00	...	-4753.00
	-0.16	...	-0.16
<i>निवल</i>	85.01	663.76	748.77	32.01	907.12	939.13	52.01	2354.44	2406.45	3.01	1615.00	1618.01
कुल जोड़	251.69	663.76	915.45	392.87	907.13	1300.00	725.86	2354.44	3080.30	984.99	1615.01	2600.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	230.23	...	230.23	335.07	...	335.07	648.06	...	648.06	956.39	...	956.39
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	21.46	...	21.46	27.80	...	27.80	27.80	...	27.80	28.60	...	28.60
3. अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	20.01	20.01	...	663.59	663.59	...	243.56	243.56
4. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	113.88	113.88	...	0.04	0.04	24.84	24.84
5. सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योगों के लिए ऋण	150.00	150.00	...	540.00	540.00	...	0.01	0.01
6. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	515.92	515.92	...	737.02	737.02	...	1149.78	1149.78	...	1251.54	1251.54
7. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	33.96	33.96	...	0.05	0.05	...	1.07	1.07	...	0.06	0.06
जोड़-आर्थिक सेवाएं	251.69	663.76	915.45	362.87	907.12	1269.99	675.86	2354.44	3030.30	984.99	1520.01	2505.00
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	0.01	0.01	95.00	95.00
जोड़-अन्य	30.00	0.01	30.01	50.00	...	50.00	...	95.00	95.00
कुल जोड़	251.69	663.76	915.45	392.87	907.13	1300.00	725.86	2354.44	3080.30	984.99	1615.01	2600.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	...	566.00	566.00	...	350.00	350.00	...	460.00	460.00	...	370.00	370.00
2. हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01
3. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	20.00	...	20.00	0.01	...	0.01
4. एनएमटी लिमिटेड	0.01	...	0.01
5. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	663.59	...	663.59	243.51	...	243.51
6. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	0.01	...	0.01
7. एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड	...	4.53	4.53	...	61.00	61.00	...	10.30	10.30	...	11.33	11.33

										(₹ करोड़)			
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
8.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	...	0.85	0.85	...	18.50	18.50	...	17.00	17.00	...	18.00	18.00
9.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	...	2.00	2.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	4.00	4.00
10.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स	0.01	...	0.01
11.	फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट	...	1.12	1.12	...	1.16	1.16	...	0.80	0.80
12.	त्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड	...	1.73	1.73	...	20.00	20.00	...	5.00	5.00
13.	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड
14.	रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड	0.01	...	0.01
15.	त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड
16.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
17.	ब्रेथवेट वर्न जेसोप कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	...	0.70	0.70	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	3.00	3.00
18.	हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	...	0.86	0.86	95.01	...	95.01
19.	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	...	0.02	0.02
20.	नेपा लिमिटेड	103.88	...	103.88	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
21.	हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड	10.00	...	10.00	0.01	...	0.01	24.81	...	24.81
22.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म मैनुफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
23.	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया लिमिटेड
24.	नागालैंड पल्पस एंड पेपर कार्पोरेशन	...	30.51	30.51	0.01	73.97	73.98
25.	जगदीशपुर यूपी पेपर मिल	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
26.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	...	6.77	6.77	...	55.63	55.63	...	32.12	32.12	...	62.92	62.92
27.	बीएचईल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	50.66	50.66
जोड़		113.88	615.09	728.97	20.07	590.26	610.33	663.59	535.22	1198.81	363.40	519.91	883.31

- सचिवालय:** इसमें भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।
- नेशनल ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप):** नैट्रिप का उद्देश्य राष्ट्रीय ऑटोमोटिव सुरक्षा और उत्सर्जन रूपरेखा की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, मान्यकरण, अनुसंधान और विकास तथा होमोलोगेशन सुविधाएं सृजित करना है। इन्हें उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत के तीन प्रमुख केंद्रों में सृजित किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस परियोजना का अधिकांश वित्तापोषण किया है तथा परियोजना संबंधी सभी आयातों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट भी दी गई है जबकि राज्य सरकार ने रियायत दरों पर भूमि को पेशकश की है। विभिन्न चालू परियोजनाओं में उपकरणों को लगाने और उनकी कमिथनिंग के लिए नैट्रिप हेतु योजना प्रावधान किया गया है।

3. **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया):** इस योजना के जरिए से, देश की जैविक ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ लोगों को स्वच्छ परिवहन समाधान उपलब्ध कराने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्ला न (एनईएमएमपी) के तहत देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड परिवहन को बढ़ाना देने की एक पहल इस विभाग ने प्रारंभ की है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान रखा गया है।

4. **आटोमोबाइल और एलाइड उद्योगों के लिए विकास परिषद:** इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परियोजना को पूरा करने तथा अनुसंधान संस्थानों अर्थात एआरएआई, पुणे, वीआरडीई, अहमदनगर और सीआईआरटी, पुणे और देश में अन्य अनुसंधान और विकास संस्थानों में बदलते सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के अनुसार वाहनों के परीक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करने के संबंध में नई और चालू विकास परियोजनाओं के लिए डेवलपमेंट काउंसिल फोर ऑटोमोबाइल एण्ड एलाइड इंडस्ट्री को अनुदान के रूप में प्रावधान रखा गया है।

5. **फ्लूइड कंट्रोल अनुसंधान संस्थान:** फ्लो मेजरिंग तथा कंट्रोल डिवाइसों से संबंधित कार्यकलापों के लिए तथा भारत एवं दक्षिण-एशिया के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं फ्लो उत्पासदों हेतु मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए यूएनडीपी परियोजना के रूप में एफसीआरआई की स्थापना 1987 में की गई थी। अनुसंधान और विकास/अवसंरचना विकसित करने हेतु एफसीआरआई के लिए प्रावधान रखा गया है।

6. **भारतीय पूंजीगत वस्तु में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि:** इस योजना का उद्देश्य देश में औद्योगिक आधार को विकसित करने के लिए विभाग की बड़ी स्थायी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि करना है। इस योजना के तहत, उद्योगों को कौशल और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करने के लिए आधुनिक साझा सुविधा केन्द्रों और सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर पार्कों की स्थापना की जाएगी। इस योजना के वित्तपोषण के लिए प्रावधान रखा गया है।

7. **ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी का विकास:** इस योजना का उद्देश्य थर्मल पावर संयंत्र की क्षमता में सुधार, कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाना, कोयले की खपत में कमी लाने के साथ-साथ विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर प्रदर्शन ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए एडवांस्ड-यूएससी प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं और आरएंडडी को प्रयोग में लाना है।

8. **उद्योग संघों और सार्वजनिक उपक्रमों के उन्नयन की गतिविधियाँ:** औद्योगिक एसोसिएशनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उन्नयन कार्यक्रमों के लिए अनुदान हेतु योजना हेतु प्रावधान रखा गया है।

9. **केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता:** - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बजटीय सहायता जिसमें यह शामिल है :

- सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उद्यमों को बंद करने के लिए एकमुश्त प्रावधान

- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति और पृथक्करण योजना तथा सांविधिक देयताओं के भुगतान के लिए एकमुश्त प्रावधान:

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) को अनुदान और निवेश: एचएसएल के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए योजनेतर प्रावधान किया गया है। इसमें नमक उत्पादन और मशीनों के आधुनिकीकरण और आधुनिक संरचना इत्यादि को बढ़ाने के लिए निधियां रखी जाती हैं।

- स्वच्छता ऐक्शन प्लान (एसएपी) : विभाग के स्वच्छता ऐक्शन प्लान के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान

- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान: पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान रखा गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत, कछार पेपर मिल(सीपीएम) और नगाँव पेपर मिल (एनपीएम) जो कि हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन (एचपीसी) की एक इकाई है इसके पुनः प्रवर्तन के लिए ही इनका आबंटन किया गया है।

- हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड (एचसीएल) में निवेश :- निवेश के रूप में धन का प्रावधान हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड (एचसीएल) के लिए रखा गया है। इसके बंद होने को मंजूरी केबिनेट की दिनांक 28.09.2016 को हुई बैठक में हुआ।